



## खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : रैखवा परगना : (मेरठ) तहसील : सदर जपद : मेरठ  
 खातेदार का नाम / पिता पति संसूक्त का नाम / निवास स्थान

फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 खाता संख्या : 00008

खरपा संख्या क्षेत्र संख्या आदेश  
 (हे.)

टिप्पणी

श्रेणी : 1-क / भूमि जो सरकारीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

आर0के0गिरी एड0 / रजेगिरी / ग0न0 224/6 शाहीनगर सेट गिरी स्कूल मेरठ

0.4720

1419क न्यायालय उप जिलाधिकारी मेरठ साद सं0 162/ 2012 धारा 143 बेंच0ए0एड एल0आर0एड श्री सैन्ट गिरी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट बनाम ग0प्र0शांकार ग्राम रैखवा पर0तह0 व जिला मेरठ। फां.क 1647/ आर0 ए0/प्रवाना /2012 दि0 04-5-12 उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि0 04-5-12 को निम्नलिखित आदेश

गोस्वामी पति राधकिशोर / ./.  
 गिरी एडवोकेट नि0 224/6 / ./.  
 शाहीनगर मेरठ शहर / ./.

पारित किये गये है-ग्राम रैखवा पर0तह0 व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता सं0 60 ख0न0 36/0.4720हे0 लगानी 19/-र0 को अकुषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा पला लगान मान किया जाता है। तहसील आख्या नि0 25-4-12 एव नदशा-नियम 135 आदेश सा अंग रहेगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय

संस्थाओं तथा मेरठ विकास प्राधिकरण, अवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्त /प्रतिकन्ध सर्जित भूमि पर लगान् जाते है, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महानोजवा 2021 को अतिरिक्त (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महानोजवा

2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। र0अ0(अरविन्द कुमार मिश्र) उप जिलाधिकारी मेरठ 04-5-12 पलाता अपसरामद /आर0सी0न0-1403ए/07-5-12/C-08-5-12

योग

1 0.4720